

उपयोगितावाद की वर्तमान प्रांसंगिकता

सीता गुवाल*

* एम.ए. (राजनीति विज्ञान) महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

प्रस्तावना – उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत है, जिसकी मान्यता है कि कोई भी आचरण तभी नैतिक है, जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता है। जब सामाजिक राजनीतिक निर्माण में उपयोगितावादी नैतिकता का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उद्देश्य समग्र रूप से समाज की बेहतरी होता है। उपयोगितावाद सही और गलत का निर्धारण करने के लिए एक तर्क आधारित दृष्टिकोण है।

यद्यपि उपयोगितावाद के निशान प्राचीन यूनानी दर्शन में भी पाए जाते थे, पर जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल द्वारा किए गये योगदान के कारण इसे लोकप्रिय बनाया गया था। इस अवधारणा ने 19वीं सदी के पहले भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपयोगितावाद के संदर्भ में उसकी वर्तमान प्रांसंगिकता को देखते हुए प्रत्येक सरकार ऐसी नीतियां बनाने के लिए बाध्य है। जो अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम लाभ दे सके। जो सरकार कुछ लोगों के लाभ के लिए काम करती है। वह सरकार बिलकुल भी अच्छी सरकार नहीं कहीं जाती है एवं ना ही वह सरकार ज्यादा समय तक स्थिर रह पाती है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां बहुमत द्वारा सरकार बनाई जाती है और अगर सरकार को लंबे समय तक स्थिर रहना है तो उनको बहुमत का हित तो सोचना पड़ेगा। और अगर अधिकतम व्यक्ति किसी सरकार की नीतियों से लाभान्वित होते हैं। तो वह सरकार अधिकतम समय तक अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाती है। और वह सरकार ही न्यायपूर्ण एवं परोपकारी कहलाती है।

भारत में करीब 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। यानी भारत की दो तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में ही निवास करती है। और जहां ज्यादा कल्याण की जरूरत है, एवं सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने पर सर्वाधिक कल्याण होगा एवं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित भी हो जायेगा। जिससे देश के ग्रामीण परिवेश में भी लोगों को लाभ मिलेगा।

राजनीतिक दर्शन में, उपयोगितावाद सरकार के अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकारों की पवित्रता को उनकी उपयोगिता पर आधारित करता है, इस प्रकार प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार या सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, इस प्रकार किस तरह की सरकार सबसे अच्छी है, यह सवाल बन जाता है, की किस तरह कि सरकार के सबसे अच्छे परिणाम होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतांत्रिक सरकार के परिणाम दीर्घकालिक एवं सर्वोत्तम होते हैं। एक ऐसा आकलन जिसके लिए मानव स्वभाव और व्यवहार के बारे में तथ्यात्मक

आधार की आवश्यकता होती है। आम तौर पर उपयोगितावादियों ने इसका समर्थन किया है, लोकतंत्र को सरकार के हित को सामान्य हित के साथ जोड़ने का एक तरीका माना गया है। उन्होंने इस आधार पर दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया है, कि व्यक्ति आम तौर पर अपने कल्याण के लिए सबसे अच्छे न्यायाधिपति होते हैं और उन्होंने शांति पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं और वांछनीयता में विश्वास किया है।

आज व्यवसायिक नैतिकता कि औपचारिक संहिता का होना पहले से कही अधिक महत्वपूर्ण है। किसी व्यवसाय को बढ़ने बढ़ाने के लिए उसे न केवल अपनी निचली रेखा को बढ़ाने की आवश्यकता होती है बल्कि उसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने की प्रतिष्ठा भी बनानी चाहिए। जो समाज के लिए उपयोगी है, वह शुभ है, और शुभ वहीं है जो समाज को सुख प्रदान करता है। उपयोगितावाद के सुखवाद के सिद्धांत में बेंथम ने सुखों के केवल मात्रात्मक भेद को माना है, वहीं मिल ने मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी माना है।

नैतिक मापदण्डों के अनुसार देखे तो समानता व स्वतंत्रता को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में देखे तो महिलाओं की भूमिका को बहुत हासिये पर रखी गयी। उन्हें पूर्णतः समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है एवं महिलाएं अभी भी पुरुषों के अधिन हैं, एवं स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ना या आवाज उठाना नहीं जानती है। सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करवा कर महिलाओं को अपने हित एवं कल्याण के लिए जागरूक करके अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलेगा एवं इससे सरकार की प्रांसंगिकता और ज्यादा बढ़ेगी।

उपयोगितावादी मानते हैं, कि वहीं कर्म शुभ है, जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है।

उपयोगितावाद का मुख्य संदर्भ लोकतंत्र में माना जाता है, लोकतंत्रों का उदाहरण प्राचीन यूनान और रोम में मिलते हैं, जहाँ प्रभुसत्ता संपूर्ण जन-समुदाय के हाथों में रहती थी, इसके गुण हैं, देश-प्रेम, समानता में विश्वास और सर्व-हित के लिए व्यक्तिगत सुख के त्याग की भावना लोगों में निहित होती हैं।

उपयोगितावाद जैसा सिद्धांत कई तरह की शासन पद्धति में प्रांसंगिक हो सकता है, प्रथम विश्व के देशों में उपयोगितावाद कई वर्षों से चला आ रहा है। यह सिद्धांत किसी भी शासन पद्धति में भी पाया जा सकता है, बशर्ते

वहां भी अधिकतम लोगो का हित देखा जाता हों। यह किसी एक शासन पद्धति की विशेषता नहीं है, बल्कि अनेक शासन पद्धतियों में प्रांसगिक बनाया जा सकता है।

तृतीय दुनिया के देश एशिया, लैटिन अमेरिका, और कैरिबियन के सभी देश और ओशिनिया के कुछ राज्य और क्षेत्र शामिल है। जो की 20वीं सदी के आखिरी आधे हिस्से में देशों के रूप में वर्गिकृत किये गये है। जो की आर्थिक रूप से अविकसित थे और जिनका प्रमुख विश्व देशो कि शक्तियों से बहुत कम या कोई संबंध नहीं था। इन देशों में उपयोगितावाद धिरे-धिरे अपने पाँव मतबूत कर रहा है। क्यों कि इन देशों में लोगो को स्वतंत्रता, समानता और मताधिकार जैसे अधिकार भी कई वर्षों बाद दिये गये है। पहले ये देश उपनिवेशों के शिकार थे और फिर इनसे आजाद होने के बाद अलग-अलग देशों ने अपने सामाजिक परिपेक्ष्य के अनुरूप शासन पद्धतियों अपनाई और लोगो को अधिकार दिये।

उपयोगितावाद का सिद्धांत जीवन के अधिकतम लोगो द्वारा यथासंभव पीड़ामुक्त बनाने पर केंद्रित है। सामान्यतः यह एक प्रशंसा योग्य लक्ष्य की भाँति लगता है। परंतु यदि सभी इस जीवन में अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिये ही जीवन का व्यापक दृष्टिकोण संकीर्ण / धुंधला हो जाएगा।

राजनीतिक दायित्व के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण ने दैवीय अधिकारों, प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया। इस अवधारणा ने व्यक्ति को राज्य से पहले रखा। यह परोपकारी है, लेकिन अहंकारी नहीं है। वर्तमान में उपयोगितावाद की अवधारणा सभी कानूनों की मूल अवधारणा बन गई है। वास्तव में वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार सबसे बड़े सदस्य को सबसे अधिक खुशी के सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि अवधारणा खामियों से मुक्त नहीं है, लेकिन सिद्धांतों के कार्यान्वयन में उन्हें कम किया जा सकता है। सुखवाद एक विचारधारा है जो तर्क देती है, कि सुख की खोज करना और दुख से बचना ही कल्याण का एकमात्र धटक है।

मानव जाति दो संप्रभु स्वामियों के बीच में है, बेंथम के अनुसार प्रकृति ने ही मानव जाति के दो संप्रभु स्वामियों, अर्थात् दर्द और खुशी के शासन में रखा है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है या राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने सुख को अधिकतम करे और दर्द को कम से कम करे। इसके अलावा उनके अनुसार उपयोगिता किसी भी वस्तु में वह गुण है, जिसके द्वारा वह लाभ, फायदा, खुशी, पैदा करती है या शरारत, दर्द बुराई को होने से रोकती है।

सरकार का काम समाज की खुशी को बढ़ावा देना है। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो राज्य के पास दोषियों को दंडित करने का भी पूरा अधिकार है। वर्तमान संदर्भ में देखे तो दण्ड देने के लिये कई तरह के कानून बनाये गये है। जो कि विभिन्न देशों के संविधान के अनुसार अपनी अपनी दंड संहिता के तहत दण्डित किया जाता है। उपयोगितावाद के मुताबिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फैसलों में समाज की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपयोगितावाद के मुताबिक, अगर कोई काम, कानून या नीति से मानव सुख बढ़ता है या मानव पीड़ा कम होती है। तो वह नैतिक रूप से अच्छा है। उपयोगितावादी मानते हैं कि वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है। यदि यह संभव नहीं तो वह कार्य शुभ है, जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करने में सहायक है।

निष्कर्षतः—भारत जैसे देश के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को फलीभूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है, एवं समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है, यह सिद्धांत न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी सदैव उपयोगी साबित होगा।

उपयोगितावाद परिणामवाद का एक संस्करण है, जो कहता है कि किसी भी कार्य के परिणाम ही सही और गलत का एकमात्र मानक है। कोई सरकार अगर लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि उसके कार्य और प्रणालियां इतनी अच्छी एवं लाभदायक साबित हुई जिसके परिणामस्वरूप वह सरकार वापस सत्ता में आ पाती है, इसलिए उपयोगितावाद या तो पूरी मानवता या सभी संवेदनशील प्राणियों के हितों को समान रूप से मानता है। उपयोगितावाद को सामाजिक कल्याण अर्थशास्त्र, न्याय के सवालों, वैश्विक गरीबी के संकट, और मानवता के लिए अस्तित्वगत जोखिमों से बचने के महत्व पर लागू किया गया है। अंततः वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है, एवं अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्रदान किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपयोगितावाद- ओ.पी. गाबा
2. www.wikipedia.org
